

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
रामगंगा बांध खण्ड, कालागढ़

पत्रांक:- 2542/रा0बा0ख0/नीलामी/

दिनांक 12-12-2017

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस खण्ड,(रामगंगा बांध खण्ड, कालागढ़) की विज्ञप्ति संख्या 1325/रा0बा0ख0/नीलामी/दिनांक 30-06-2017 द्वारा जारी की गई नीलामी की सूचना के अनुसार नीलामी की तिथि दिनांक 03.08.2017 को मात्र एक बोलीदाता द्वारा धरोहर राशि जमा किये जाने के कारण नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। पुनः इस खण्ड की विज्ञप्ति संख्या 1907/रा0बा0ख0/नीलामी दिनांक 06-9-2017 द्वारा जारी की गई नीलामी की सूचना के अनुसार नीलामी की तिथि दिनांक 11-10-2017 को कोई भी बोलीदाता न आने के कारण नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

अतः पुनः दिनांक 28-12-2017 को निम्नलिखित निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी एरेक्टर हॉस्टल के मीटिंग हाल (नई कालोनी कालागढ़ में स्थित) में दोपहर 12.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी।

क्र०सं०	नीलामी किये जाने वाले वाहन का नाम	मात्रा	धरोहर राशि रू०
1	2	3	4
1-	एम्बैसडर पेट्रोल कार संख्या- यू०टी०एन० 4535 (मॉडल 1977)	एक नग	2000.00

नीलामी की मुख्य शर्तें:-

- 1- सभी बोली दाताओं को रूपया 2000.00(रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, रामगंगा बांध खण्ड, कालागढ़ के पक्ष में जारी करते हुए जो भारतीय स्टेट बैंक, धामपुर पर देय होगा वह नीलामी के एक घण्टे पूर्व अर्थात् 11.00 बजे तक जमा करना होगा तभी नीलामी में वह सम्मिलित हो सकता है।
- 2- बोली समाप्त होने पर अन्तिम बोली दाताओं को 25 प्रतिशत कुल बोली का नकद जमा करना होगा अन्यथा उसकी धरोहर राशि को जब्त करते हुये क्रमशः द्वितीय, तृतीय बोली दाताओं को अवसर दिया जायेगा।
- 3- किन्हीं दो बोलियों के मध्य बोली का अन्तर न्यूनतम रू० 100.00 व अधिकतम रू० 1000.00 होगा।
- 4- यदि कोई अन्य टेकेदार जो कि किसी कारणवश नीलामी में सम्मिलित न हुआ हो और दुबारा बोली बुलवाना चाहता है तो उसे अधिकतम नीलामी का न्यूनतम 1.25 गुणा नकद धनराशि अधिकतम एक सप्ताह अथवा स्वीकृति से पूर्व जो भी समय कम हो जमा करना होगा। तभी उसकी दोबारा नीलामी की माँग स्वीकार की जा सकती है।
- 5- वणिज्य अथवा जी०एस०टी० अथवा अन्य कर जो भी देय हो नियमानुसार जमा करना होगा।
- 6- नीलामी की सभी शर्तें नीलामी के समय पढ़कर सुनायी जायेगी, जिनका बोली दाताओं को पालन करना होगा।
- 7- नीलाम किये जाने वाली सामग्री जिस स्थान पर जैसी भी स्थिति में है उसी स्थिति में बोलीदाता द्वारा स्वयं के खर्चे से उठानी पड़ेगी, विभाग को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 7- नीलामी बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है। बोली दाताओं का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

अधिशासी अभियन्ता
रामगंगा बांध खण्ड, कालागढ़

प्रेषक,

अधिकाशासी अभियन्ता
रामगंगा बाँध खण्ड,
कालागढ,— 246142

सेवा में,

सूचना निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक: 2543 / रा0बा0ख0 / नीलामी / कालागढ,

दिनांक 12-12-2017

विषय: नीलामी की सूचना का प्रकाशन करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

इस खण्ड में उपब्लध निष्प्रोज्य वाहन नीलामी की सूचना छः प्रतियों में सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सूचना को वेबसाइट पर प्रसारित करने तथा हिन्दी के समाचार पत्रों **दैनिक जागरण, मेरठ अमर उजाला, मेरठ** एवं बिजनौर से प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा करे। कृपया प्रकाशकों को यह भी निर्देश दें कि वह प्रकाशन के पश्चात उसकी एक-एक प्रति पुष्टि हेतु इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय

अधिकाशासी अभियन्ता
रामगंगा बाँध खण्ड, कालागढ

पत्रांक: / रा0बा0ख0 / नीलामी / तदिनांक

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को 2 न0 नीलामी की सूचना 01 न0 सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सूचना सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार सी0डी0 सहित।

अधिकाशासी अभियन्ता
रामगंगा बाँध खण्ड, कालागढ

पत्रांक: 2543 / रा0बा0ख0 / नीलामी / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नीलामी की सूचना सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित है।

- 1— मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, गंगा सिंचाई भवन तेली बाग लखनऊ।
- 2— मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), नलकूप कालोनी, मुरादाबाद।
- 3— जिला अधिकारी, बिजनौर / जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं उपजिलाधिकारी, धामपुर, जिला—बिजनौर।
- 4— अधीक्षण अभियन्ता, रामगंगा बाँध मण्डल, कालागढ।
- 5— अधिकाशासी अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार खण्ड—3, कालागढ एवं मुख्य लेखाधिकारी, लेखा संघ, कालागढ।
- 6— अधिकाशासी अभियन्ता, शिविर प्रबन्ध खण्ड, कालागढ को इस आशय से प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ एरेक्टर हॉस्टल में कार्यरत कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे नीलामी की तिथि दिनांक 28.12.2017 को एरेक्टर हॉस्टल के मीटिंग हॉल को खुला रखें।
- 7— पुलिस अधीक्षक बिजनौर / जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 8— सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बिजनौर।
- 9— जिला सूचनाधिकारी, बिजनौर।
- 10— सुरक्षाधिकारी रामगंगा परियोजना कालागढ।
- 11— सहायक अभियन्ता—तृतीय, रामगंगा बाँध खण्ड, कालागढ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त नीलामी की तिथि में नीलामी हेतु पूर्ण व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
- 12— थाना अध्यक्ष, कालागढ।
- 13— कैशियर, रामगंगा बाँध खण्ड, कालागढ।
- 14— नोटिस बोर्ड हेतु।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार

अधिकाशासी अभियन्ता
रामगंगा बाँध खण्ड, कालागढ